24-04-2023

बंगाल में 4 नई जैव विविधता स्थल

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, बंगाल सरकार द्वारा राज्य में 4 जैव विविधता स्थलों को चिन्हित किया गया।

त्वरित मुद्दा?

- चार नए स्थानों को देखने के बाद अब बंगाल में कुल जैव विविधता स्थलों की संख्या 8 हो गई है।
- **4 नई जैव विविधता विरासत**
  - चार बलिडंगा (नादिया)
  - नमथिंग पोखरी (दार्जिलिंग)
  - अमखोई वुड फॉसिल पार्क (बीरभूम)
  - स्टेट हॉर्टिकल्चर सेंसर और विद्युत स्टेशन (नादिया)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- राज्य, जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत स्थानीय शासी निकाय के परामर्श से जैव विविधता विरासत स्थानों को उजागर कर सकता है।
- इन्हें अनोखा और पर्यावरण पर्यावरण तंत्र माना जाता है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, तटीय और अंतर्देशीय जल या स्थलीय क्षेत्र हो सकते हैं।
- **जैव विविधता स्थल के मानदंड -**
  - जैविक जैव विविधता वाले समुद्री क्षेत्र।
  - जंगली के साथ-साथ पालतू जानवर की मात्रा या अंतर-विशिष्ट।
  - उच्च सकलता।
  - दुर्लभ और खतरों वाले जीवों की उपस्थिति।
  - कीस्टोन परिप्रेक्ष्य, विकासवादी महत्व की संभावना।
  - घरेलू/कृषि प्रजातियां या उनकी रूपरेखा के जंगली पूर्वज।
  - चित्रमय बिस्तर द्वारा प्रतिबिंबित किए गए भौगोलिक की पूर्व-प्रतिष्ठा।
  - सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्यवादी मूल्य और सांस्कृतिक विविधता।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002, केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता का संरक्षण करती है और पारंपरिक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग द्वारा लाभ के उचित वितरण के लिए एक प्रणाली प्रदान करने के लिए एक कानून पारित करती है।
- यह अधिनियम जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD), 1992 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पारित किया गया था।

- अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों में पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना, बायोपाइरेसी को प्रावधान, सरकार की सहमति के बिना पेटेंट प्राप्त करने से व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
- इस अधिनियम में वाणिज्यिक या अनुसंधान उद्देश्यों के लिए या जैव-सर्वेक्षण और जैव-उपयोग के उद्देश्यों के लिए भारत में होने वाले जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान का संरक्षण, उपयोग शामिल है।
- यह बैज़ियाज़िक संसाधनों तक पहुँच और इस तरह की पहुँच और उपयोग होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।
- अधिनियम के दायरे में भारतीय जैविक संसाधनों से संबंधित अनुसंधान संबंधी अधिकारों के हस्तांतरण और दस्तावेज़ संपत्ति अधिकार (आईपीआर) के लिए आवेदन भी शामिल है।
- इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।
- भौगोलिक संसाधनों तक पहुँचने को नियंत्रित करने के लिए कानून द्वारा त्रिस्तरीय योजनाओं की कल्पना की गई -
  - राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए)
  - राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी)
  - जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMCs) (स्थानीय स्तर पर)

  इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्यों को छूट प्रदान की गई है -
  - भारतीय जैविक संसाधनों का सामान्य रूप से वस्तुओं के रूप में व्यापार।
  - इस तरह की छूट केवल तब तक लागू होती है, जब तक कि अन्य संसाधनों के लिए, जब तक कि बाधक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तब तक कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता है।
- भारतीय संवैधानिक और संबंधित ज्ञान का पारंपरिक उपयोग।
- केंद्र सरकार की पुष्टि से भारतीय और एलियंस के बीच सहयोगी अनुसंधान परियोजना में भारतीय अस्थिर का उपयोग।

सौराष्ट्र-तमिल संगमम

समाचार पत्रों में क्यों?

सौराष्ट्र-तमिल संगमम (Saurashtra-Tamil Sangamam) में लगभग 3,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस महोत्सव का उद्देश्य गुजरात और तमिलनाडु के दो तटीय राज्यों के बीच 'पुराने संबंधों' और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करना है।

त्वरित मुद्दा?

- सदियों पहले यानी 600-1000 वर्ष के बीच आक्रमणों ने कई लोगों को गुजरात में सौराष्ट्र से पलायन करने और मदुरै के आसपास के तमिलनाडु के ज़िलों में नई बस्तियाँ स्थापित करने के लिये मजबूर किया, जिसे अब तमिल सौराष्ट्रियन के रूप में जाना जाता है।

- गुजराती मूल के लोग तमिलनाडु में विभिन्न स्थानों जैसे- तिरुचि, तंजावुर, कुंभकोणम और सलेम में बस गए हैं, जिससे गुजरात और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंध मज़बूत हुए हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सौराष्ट्र-तमिल संगमम, काशी-तमिल संगमम के समान है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विविधता और ताकत को उज़ागर करना तथा लोगों को तीर्थस्थलों एवं सांस्कृतिक विरासत के साथ फिर से जोड़ना है।
- यह महोत्सव गुजरात में सोमनाथ, द्वारका और केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे कई स्थानों पर आयोजित होगा।
- यह तमिल-सौराष्ट्र के लोगों की रेशमी कपड़े की विशेषज्ञता और गुजरात के कपड़ा उद्योग के विलय को दर्शाता है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

एक भारत श्रेष्ठ भारत

- इसे वर्ष 2015 में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिये लॉन्च किया गया था ताकि विभिन्न संस्कृतियों के लोगों में आपसी समझ और बंधन को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता व अखंडता मज़बूत होगी।
- संबद्ध मंत्रालय : यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।
- योजना के तहत गतिविधियाँ : देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को एक समयावधि के लिये दूसरे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

- दो संस्कृतियों के संगम को सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्रियों की उत्पत्ति के स्थान और मदुरै के पास मीनाक्षी मंदिर, जहाँ वे बसे थे, के माध्यम से दर्शाया गया है।
- डांडिया (गुजरात) और भरतनाट्यम (तमिलनाडु) के साथ नृत्य मुद्रा में एक युवती दो कला रूपों के संगम का प्रतीक है।
- ऊपरी तीन रंग 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के संदेश को दर्शाता है, जबकि नीचे का नीला रंग दो राज्यों के समुद्र के साथ मिलन का प्रतीक है।

- सांस्कृतिक सुरक्षा : यह सुरक्षा के अन्य रूपों की तरह ही महत्त्वपूर्ण है जैसे- सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और साइबर सुरक्षा।
- संगमम के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों और विरासत की रक्षा कर एक राष्ट्र की पहचान को बनाए रखने के लिये आवश्यक है और इसने भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को देखा है।
- सामुदायिक भवन और सामाजिक सामंजस्य : संगमम समुदाय को एक साथ आने, सामाजिक और सामुदायिक भावना का निर्माण करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के मध्य एकता और घनिष्ठता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही आपसी सम्मान, समझ एवं सद्भाव को भी बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

समाचार पत्रों में क्यों?

भारत सरकार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन को राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस (National Local Self Government Day) भी कहा जाता है।

त्वरित मुद्दा?

- राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन को हर साल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चिह्नित किया जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- 73वें संशोधन अधिनियम (73rd Amendment Act) ने भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण का नेतृत्व किया था
- जिसने राजनीतिक शक्ति को जमीनी स्तर तक विकेंद्रीकरण करने में मदद की। इसने गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के माध्यम से पंचायती राज को संस्थागत रूप दिया।
- 73वें संशोधन 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 (O) तक के प्रावधान शामिल हैं; और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल करते हुए एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी शामिल है।
- 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था। इस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया।
- पंचायती राज एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है "पांच का शासन"। यह भारत में स्थानीय शासन की प्रणाली को संदर्भित करता है जहां गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है।
- पंचायती राज व्यवस्था शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार से स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित की जाती है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

पंचायती राज व्यवस्था के सामने चुनौतियाँ

- पंचायती राज प्रणाली के कई लाभों के बावजूद, ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। मुख्य चुनौतियों में से एक स्थानीय सरकारों के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी है। यद्यपि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में केंद्र सरकार से स्थानीय सरकारों को धन के हस्तांतरण को अनिवार्य किया गया है, धन जारी करने में कई बार देरी हो जाती है, जिसने विकास पहलों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है।
- एक और चुनौती निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं और हाशिए के समुदायों की सीमित भागीदारी है। हालांकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य किया गया है, लेकिन उनकी भागीदारी के विरोध के उदाहरण सामने आए हैं।
- अंत में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है। कई पंचायत प्रतिनिधियों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी है, जिसके कारण विकास पहलों का अप्रभावी कार्यान्वयन हुआ है।

- इस प्रणाली को जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया था।
- पंचायती राज व्यवस्था के कई फायदे हैं। सबसे पहले, यह लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देती है।
- दूसरे, यह सुनिश्चित करती है कि विकास पहलों को विकेंद्रीकृत और भागीदारीपूर्ण तरीके से लागू किया जाए। तीसरा, यह लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाता है।
- अंत में, यह संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद करता है क्योंकि स्थानीय सरकारें अपने समुदायों की जरूरतों की बेहतर समझ रखती हैं।

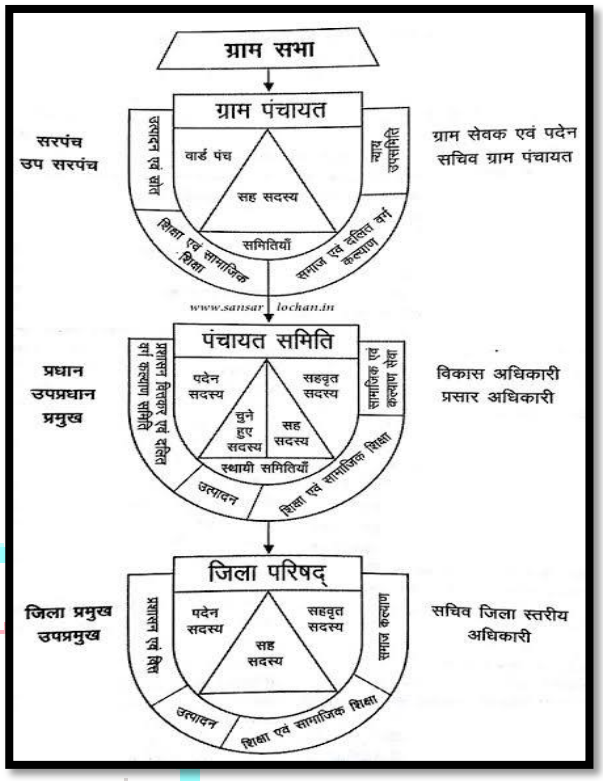

विश्व पुस्तक दिवस (World Book Day)

समाचार पत्रों में क्यों?

विश्व पुस्तक दिवस (World Book Day), जिसे विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस (World Book and Copyright Day) के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक दिन पढ़ने, लिखने, अनुवाद करने, प्रकाशित करने और कॉपीराइट की सुरक्षा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किताब पढ़ने वाले और उनके प्रकाशन करने वालों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है।

त्वरित मुद्दा?

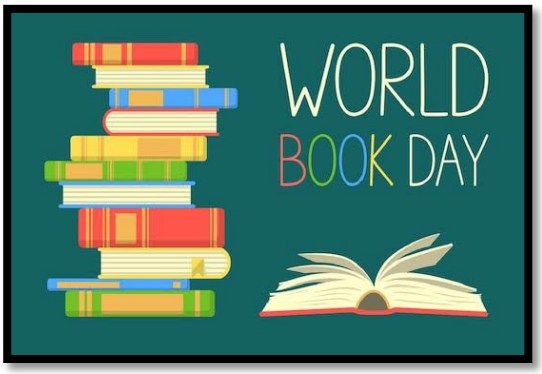

- विश्व पुस्तक दिवस हर साल एक नई थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल 2023 की थीम है 'इंडिजेनस लैंग्वेजेज' यानी स्वदेशी भाषाएं। इस थीम को रखने का मकसद देश और दुनिया में मौजूद अलग-अलग भाषाओं का महत्व को समझना है। इस थीम को रखने की एक और वजह है स्वदेशी भाषा को मजाक न उड़ाएं उसकी कद्र करें और उन्हें विलुप्त होने से बचाएं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- विश्व पुस्तक दिवस 1995 से मनाया जा रहा है। लेखक मिगुएल डी सर्वेंटीज़ (Miguel de Cervantes) की पुण्यतिथि पर विश्व पुस्तक दिवस मनाने का विचार एक लेखक विसेंट क्लेवल एंड्रेस (Vicente Clavel Andres) द्वारा दिया गया था।

- शुरुआत में उनकी जन्मतिथि 7 अक्टूबर विश्व पुस्तक दिवस के रूप में प्रस्तावित की गई थी। लेकिन विलियम शेक्सपियर और इंका गार्सिलसो डे ला वेगा की मृत्यु वर्षगांठ भी 23 अप्रैल को है, इसके बाद 23 तारीख को विश्व पुस्तक दिवस के लिए चुना गया।
- वास्तव में शेक्सपियर की मृत्यु सर्वेंटीज़ के 10 दिन बाद हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय स्पेन ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करता था और इंग्लैंड जूलियन कैलेंडर का उपयोग करता था।
- मिगुएल डी सर्वेंटीज़ एक स्पेनिश लेखक थे। उन्हें "डॉन केहोटी" (Don Quixote) के लिए जाना जाता था।
- वह 17वीं शताब्दी में रहे। वह एक सैनिक, कवि, उपन्यासकार, कर संग्रहकर्ता और नाटककार थे। उन्हें स्पेन छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और इसलिए उन्होंने रोम में कार्डिनल के रूप में काम किया।

अंग्रेजी भाषा दिवस

समाचार पत्रों में क्यों?

23 अप्रैल को हर साल अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जन्म की तिथि और मृत्यु की तिथि दोनों को मनाने के लिए अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया था।

त्वरित मुद्दा?

- अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवसों का उद्देश्य बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ पूरे संगठन में सभी छह आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देना है।
- संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवसों की पहल के तहत, UN छह अलग-अलग दिन मनाता है, संगठन की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक को समर्पित है।
  - अरबी: 18 दिसंबर
  - चीनी: 20 अप्रैल
  - अंग्रेजी: 23 अप्रैल
  - फ्रेंच: 20 मार्च
  - रूसी: 6 जून
  - स्पेनिश: 23 अप्रैल

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा 6 कार्य भाषाओं में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के लिए बढ़ती जागरूकता और सम्मान के लक्ष्य के साथ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भाषा दिवस की शुरुआत मनोरंजन के साथ-साथ सूचित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- विलियम शेक्सपियर, जिन्हें व्यापक रूप से इतिहास में सबसे महान नाटककारों और कवियों में से एक माना जाता है, अंग्रेजी भाषा में उनके योगदान के लिए विश्व अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है।
- शेक्सपियर को अंग्रेजी भाषा में 1,700 से अधिक नए शब्द और वाक्यांश पेश करने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें से कई आज भी उपयोग में हैं। उनकी रचनाओं का 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर के साहित्य और कलाओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है।
- विश्व अंग्रेजी दिवस बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अंग्रेजी भाषा दुनिया भर में व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय संचार और वाणिज्य में इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता है।
- हालाँकि, अन्य भाषाओं और संस्कृतियों को मनाना और बढ़ावा देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे वैश्विक समुदाय का एक अभिन्न अंग हैं।
- विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विश्व अंग्रेजी दिवस लोगों को अन्य भाषाओं और संस्कृतियों को सीखने और उनकी सराहना करने के साथ-साथ प्रत्येक के अद्वितीय योगदान को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह विभिन्न समुदायों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देने और अधिक समावेशी और विविध समाज को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और यह व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा है। यह लोकप्रिय संस्कृति की भाषा भी है, दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा अंग्रेजी भाषा की फिल्मों, संगीत और टेलीविजन शो का आनंद लिया जा रहा है।
- दुनिया भर में रोजगार और शिक्षा के अवसरों के लिए अंग्रेजी दक्षता तेजी से एक आवश्यकता बनती जा रही है। विश्व अंग्रेजी दिवस मनाने से अंग्रेजी भाषा सीखने और प्रवीणता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है, और उन लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा शिक्षा और संसाधनों तक अधिक पहुंच को बढ़ावा मिलता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है।